

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 2/2016 प्रार्थना पत्र 14(4)

गिराज प्रसाद पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल
राजावतान जिला दौसा राजस्थान



..प्रार्थी

बनाम

1. संजय पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नांगल राजावतान
3. भू आवंटन सलाहकार समिति दौसा जरिये अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा

..अप्रार्थीगण

उजरात धारा 14(4) भू आवंटन नियम-1970 विरुद्ध आवंटन आदेश, आवंटन कमेटी दिनांक 17.6.2000 बहक संजय पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा बाबत भूमि खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है. द्वारा उपखंड अधिकारी दौसा

- उपस्थित—
1. श्री गिराज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
 2. श्री राकेश जैमन, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से
 3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 17.08.2022

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 17.6.2000 को आराजी खसरा नंबर 658 के रकबा 0.41 है. वाके ग्राम बासना का आवंटन अप्रार्थी संजय पुत्र भूरामल को कर दिया गया। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 17.6.2000 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आराजी खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है. वाके ग्राम बासना का आवंटन आवंटन कमेटी की सिफारिश पर कैम्प हापावास में उपखंड अधिकारी दौसा की अध्यक्षता में किया गया है। उक्त आवंटन विधि विरुद्ध प्रक्रिया मिसरिप्रजेन्टेशन व फ़ॉडपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी ने मिल्लत व षडयंत्र से कपटपूर्ण तरीके से तथ्यों का छिपाते हुए फ़ॉडपूर्ण झूठा आवेदन पत्र पेश कर ग्राम बासना की भूमि संख्या नंबर 658 रकबा 0.41 है. का आवंटन चाहा गया तथा आवंटन आवेदन पत्र पर मात्र नाम, पता व आवंटन के लिए चाही गई भूमि को ही दर्शाया गया है, शेष बिन्दुओं का कोई विवरण नहीं दिया गया है। बिन्दु संख्या 01 से 03 पर कोई इबारत नहीं लिखी है तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कपटपूर्ण व फ़ोडपूर्ण तरीके से अपनी आयु 22 वर्ष लिखी गई जो सरासर झूठी है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की आयु विधालय रिकार्ड के अनुसार 19 वर्ष थी। इस प्रकार अपूर्ण, झूठे आवेदन पर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2000 निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त परिवार में अलग-2 खातों में कुल 17.0 हैक्टेयर भूमि थी। इस तथ्य को अप्रार्थी संख्या 01 ने हल्का पटवारी से साज करके कपटपूर्ण तरीके से छुपा-

.....निरंतर 2 पर

कर भूमि खसरा नंबर 658 का आवंटन करवा लिया। अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार को दिनांक 1.6.1989 को खवारावजी कैम्प में आवंटन कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के पिता भूरामल पुत्र छीतरमल के नाम भूमि खसरा नंबर 658/1 रकबा 0.75 है. वाके ग्राम बासना का आवंटन किया गया है तथा दिनांक 26.6.1992 को आवंटन कमेटी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के भाई रामावतार पुत्र भूरामल को भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 0.41 है. वाके ग्राम बासना का आवंटन किया गया है। इन दोनों आवंटन आदेशों से अप्रार्थी सं. 01 के संयुक्त परिवार को कुल 1.16 है. भूमि का आवंटन हो चुका था। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा अपने भूमि आवंटन आवेदन पत्र पर उक्त पूर्व में आवंटित की गई भूमि का विवरण नहीं लिख कर कपटपूर्ण तरीके से भूमि आवंटित करवाई गई है। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा हल्का पटवारी के साथ मिल्लत व साज कर अवैध साधनों का प्रयोग कर लालच व प्रलोभन देकर फर्जकारी झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई गई। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को अनुचित व विधि विरुद्ध तरीके से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कपटपूर्ण तरीके से अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी सं.1 के पिता के नाम मात्र 6.07 है. भूमि होना बताया गया तथा अप्रार्थी सं० 1 का हिस्सा 1/5 अंकित किया गया। साथ ही अपनी रिपोर्ट के पैरा सं. 7 में अप्रार्थी सं० 1 पर निर्भर सदस्यों की संख्या 2 दर्शाई गई है। साथ ही उक्त भूमि खसरा नंबर 658 पर अप्रार्थी सं. 1 का संवत् 2048 से 2056 तक मौके पर अतिक्रमी बताया गया। उक्त सारी की सारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट साजपूर्ण थी। अप्रार्थी सं० 1 का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था तथा अतिक्रमी की हैसियत 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की होना तथा इस रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन कमेटी में ना तो कोरम पूर्ण था तथा ना ही भूमि आवंटन के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई। भूमि आवंटन के लिए भूमिहीन कृषकों की कोई सूची तैयार नहीं की गई ना ही आमसभा में भूमि आवंटन किया गया है। यह आवंटन ग्राम सभा में न होकर ग्रामसभा हापावास से 39 किलोमीटर दूर उपखंड अधिकारी दौसा के कार्यालय में बैठकर किया गया है। इस प्रकार अपूर्ण आवंटन कमेटी का आदेश अवैधानिक एवं फ़ॉडपूर्ण होने के कारण भी निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं० 1 दिनांक 17.6.2000 को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पापडदा में विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत था। राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कृषि की परिभाषा में कहीं भी शिक्षा पढाई करने के कार्य को कृषि में सम्मिलित नहीं किया गया है ना ही विद्यार्थी को कृषक की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 1 दिनांक 17.6.2000 को कृषक की श्रेणी में नहीं होने से भूमि खसरा नंबर 658 का अप्रार्थी सं० 1 के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं० 1 के संयुक्त परिवार की बहुत मात्रा में कृषि भूमि थी, इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं० 1 के पिता भूरामल व दादी नारायणी द्वारा दिनांक 28.9.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लगभग 24 बीघा 7 एयर भूमि का फूलचंद अजमेरा, एडवोकेट निवासी पापडदा से क्रय की गई थी। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 1 गरीब भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं होने के कारण किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं० 1 संयुक्त हिन्दु परिवार का सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के ताउ कमशः श्रीगोपाल अजमेर विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर एवं परशुराम पोस्ट मास्टर, भारतीय डाक विभाग के पद पर तथा अप्रार्थी सं० 1 के चाचा श्रवण कुमार राज० विश्वविद्यालय जयपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत थे। अप्रार्थी सं० 1 का परिवार संपन्न परिवार होने से कारण व गरीब भूमिहीन कृषक नहीं थे। साथ अप्रार्थी सं० 1 के बुजुर्गान जमीनों की खरीद फरोख्त का धन्धा करते थे तथा गरीब किसानों को ऋण मुहैया करवाकर गरीब किसानों की जमीनों को गिरवी रखते थे तथा जरिये स्टांप पर कई किसानों को जमीनों का विक्रय किया जिसकी आज तक कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई। प्रार्थी बुजुर्गान के समय से ही उक्त भूमि खसरा नंबर 659 वाके ग्राम बासना पर

मौसमी तौर पर पशु चराया करते थे तथा प्रार्थी का अपने बुजुर्गों के समय से ही कब्जा रहा है। अप्रार्थी सं०1 व उसके बुजुर्गान बेहद चालाक व जालसाज व्यक्ति है, उनके द्वारा पहले आवंटन दिनांक 26.6.1992 को भी रामावतार द्वारा उक्त भूमि खसरा नंबर 658 का आवंटन चाहा गया था। प्रार्थी को उक्त आवंटन की जानकारी दिनांक 6.1.2016 को हुई। आवंटन की जानकारी होने के पश्चात आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 17.6.2000 को अप्रार्थी सं०1 के पक्ष में ग्राम बासना के खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है. के किये गये आवंटन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने दलील दी है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है. वाके ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान (तत्कालीन तहसील दौसा) का अप्रार्थी संख्या 01 के हक में हुए आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2000 के विरुद्ध पूर्व में ही न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहाँ चाहती देवी ने प्रार्थना पत्र 14(4) प्रकरण संख्या 38/2006 उनवानी चाहती बनाम संजय पेश किया था, जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 29.12.2006 पारित करके चाहती का उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त भूमि खसरा नंबर 658 रकबा 0.41 है० वाके ग्राम बासना का आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2000 बहाल रख दिया । जो निर्णय दिनांक 29.12.2006 आज भी प्रभावी है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के विरुद्ध चाहती ने माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील उनवानी मु०चाहती बनाम रामावतार वगै० (अपील संख्या 19/2008) पेश की गई, जो अपील भी गुणावगुण के आधार पर सुनवाई होकर निर्णय दिनांक 31.10.2014 पारित करके माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा ने अपील खारिज कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में उक्त भूमि के हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2006 को बहाल रखा गया जो आज दिनांक को भी प्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भूमि पर आवंटन के समय से बदस्तूर काबिज है व अप्रार्थी सं० 01 ने आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना की है। अप्रार्थी नं० 1 के हक में विधिवत रूप से उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 के हक में हुए उक्त भूमि के आवंटन के विरुद्ध एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 पूर्व में ही निर्णित होने के पश्चात भी कानून की अवहेलना करते हुए प्रार्थी गिराज प्रसाद द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) उसी आवंटन के विरुद्ध पेश कर दिया जबकि कानूनन एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरुद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने तर्क के समर्थन में आर०बी०जे० 2000 पेज 262 न्याय निर्णय की प्रति पेश प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया कि प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा का सिद्धान्त लागू होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर खसरा नंबर 658 का आवंटन दिनांक 17.6.2000 को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) पूर्व में ही माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के द्वारा निर्णित किया जाकर आवंटन को बहाल रखा गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 29.12.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के द्वारा निर्णय दिनांक 31.10.2014 के द्वारा अपीलांत की अपील खारिज करते हुए न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 को यथावत रखा गया है। कानून के मुताबिक एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरुद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। आवंटन सलाहकार समिति दौसा द्वारा किया गया आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैम्प हापावास द्वारा अप्रार्थी संजय पुत्र भूरामल जाति ब्राहमण निवासी बासना को दिनांक 17.6.2000 के द्वारा ग्राम बासना स्थित भूमि खसरा नंबर 758 रकबा 0.41 है। भूमि का आवंटन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2000 को पूर्व में प्रार्थिया चाहती ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा में प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 उनवानी चाहती बनाम संजय वगै० प्रकरण संख्या 38/2006 पेश कर उक्त आवंटन को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई थी। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाकर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाकर भू आवंटन सलाहकार समिति के किये गये आवंटन दिनांक 17.6.2000 को बहाल रखा गया था। प्रार्थिया चाहती ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 29.12.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में अपील संख्या 18/2008 उनवानी मु० चाहती बनाम रामावतार वगै० पेश कर चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा दिनांक 31.10.2014 को निर्णय पारित कर अपील निरस्त कर दी गई है। हम इस तथ्य से सहमत हैं कि एक बार प्रार्थना पत्र 14(4) निर्णित होने के बाद उसी आवंटन के विरुद्ध पुनः प्रार्थना पत्र 14(4) नहीं चल सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस ज्युडिकेटा लागू होता है। इस प्रकार हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 17.6.2000 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)

जिला कलेक्टर, दौसा

